# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री पंकज शर्मा, आर0ए0एस0

---

प्रकरण संख्याः— 117/2017 प्रा0 पत्र

बलराज सिंह पिता हरकेश सिंह जाट, आयु 45 साल, निवासी सतखण्डा नई आबादी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

— प्रार्थी

//बनाम//

रतनलाल पिता पोखर रावत, आयु 45 साल, निवासी महादेवपुरा (मोहम्मदपुरा) तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

— विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0का0अधि0**

**श्री आशाराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित**

**निर्णय**

दिनांकः— 11.02.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. सपठीत धारा 151 जा0दि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा महादेवपुरा (मोहम्मदपुरा) पटवार हल्का सतखण्डा की खाता संख्या 70 की आराजी नं. 280 व 281 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पडोस पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर सरकारी जमीन (विद्यालय की भूमि) व दक्षिण बंशीलाल भाम्बी, रामलाल व उदा गायरी की आराजीयात है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विपक्षी का प्रार्थी की आराजीयात से कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं है। किन्तु प्रार्थी की आराजीयात आबादी से लगी होकर किमतन है जिस पर विपक्षी जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहता है तथा प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। इसी आशय से विपक्षी दिनांक 28.09.2017 को अपने साथ 2—3 कारीगर व 5—6 मजदूर लेकर आया और प्रार्थी की आराजीयात पर खड्डे आदि खोदकर निर्माण कार्य करने लगा व विपक्षी को समझाया कि यह आराजीयात प्रार्थी की है जिसकी विधिवत रूप से प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी भी करवा रखी है किन्तु विपक्षी नहीं मान रहा है तथा निर्माण करने पर आमदा है। मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा, तब तक विपक्षी को पाबन्द किया जाना

आवश्यक है। प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस है तथा निर्माण किये जाने की स्थिति में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। बाद में अधिवक्ता प्रतिवादी ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम महादेवपुरा की खाता संख्या 70 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। रेकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने व रक्षा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण किये जाने की स्थिति में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षी मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक विवादित भूमि मौजा महादेवपुरा (मोहम्मदपुरा) पटवार हल्का सतखण्डा की खाता संख्या 70 की आराजी नं. 280 व 281 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करें ना करावें। इस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 11.02.2020 को सरे ईजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**निम्बाहेड़ा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 15:04:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: